तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	हुक्म ... में ज...
22/12/17	वकील अपीलांट व वकील रेस्पो. 1 से 5 उपस्थित। शेष रेस्पो. को समक्ष [illegible] भेजे गये थे। [illegible] व [illegible] का इंतजार रहे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/1/18 को पेश हो। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
15/1/18	अधिवक्तागण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर। रजि. AD दि. 11/12/17 [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/1/18 को पेश हो। वास्ते बहस ... गणेश शर्मा रीडर राजस्व अपील अधिकारी कोटा	
24/1/18	5, 9/6, वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पो. 1 से 5 [illegible] बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु दिनांक 31/1/18 को पेश हो। (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
31/1/18	पत्रावली वास्ते निर्णय सुनाने हेतु पेश हुई। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय फैसल शुदा [illegible] दाखिल दफ्तर हो। नकल [illegible] (पंकज कुमार औझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 13/01

1. बिरधी लाल आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. बनवारी आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. केसर बाई आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. मन्नी बाई आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. सीताराम पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कैलाश बाई बेवा नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. पुष्पलता पुत्री नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. घनश्याम मुतबन्ना बाल्या जाति धोबी निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. दाखां बाई पुत्री मांग्या जी पत्नी कल्याण जाति धोबी निवासी हिंगोनिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी ।
7. *बादाम पुत्री मांग्या जाति धोबी निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।*
8. *कंचन पुत्री मांग्या जी पत्नी बाबूलाल जाति धोबी निवासी बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।*
9. रामगोपाल पुत्र मांग्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :—

9/1. राजेन्द्र आत्मज रामगोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
9/1/1. कपिल पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता
9/1/2. सुधांशु पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
9/1/3. चिंतन पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
9/1/4. प्रमिला पुत्री राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
9/1/5. बबिता बेवा राजेन्द्र ।
9/2. रेखा पुत्री रामगोपाल ।
9/3. रेणु पुत्री रामगोपाल ।
9/4. नीलू पुत्री रामगोपाल ।
9/5. पीलू पुत्री रामगोपाल ।
9/6. कमला बेवा रामगोपाल जाति धोबी निवासी डडवाडा कोटा जंक्शन तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द नामदेव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ।
3. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 8 से 9/6 ।

दिनांकः 31.01.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1160 की 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 2876 की 0.70 हैक्टर भूमि कुल 02 किता की 0.98 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि में जमना लाल पुत्र मोडू का नाम दर्ज है । जमना लाल जी का विवाह नहीं हुआ और करीब 30 वर्षों से लापता है जिनके सम्बन्ध में जीवित अथवा मृत्यु हो जाने की किसी प्रकार की कोई सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई है । जमना लाल जी के एक मात्र वारिस वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 से 6 होने से उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का 1/2 व प्रतिवादी क्रम 1 से 6 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना व खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 2784 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 2786 की 0.53 हैक्टर कुल 02 किता की 1.16 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 से 6 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 7 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 8 से 10 के पिता क्रम 11 के दादा का 1/4 हिस्सा दर्ज है । मांग्या पुत्र नेनगा धोबी की मृत्यु हो चुकी है जिसके प्रतिवादी क्रम 8 से 11 वारिसान हैं जिससे मांग्या के स्थान पर प्रतिवादी क्र 8 से 11 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि दीगोद की 0.98 हैक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 6 को 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे इसी प्रकार अन्य आराजी दो किता की 1.16 हैक्टर भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 11 के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण के खाते 1/4 हिस्से की भूमि अलग खाते दर्ज की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे तथा उक्त भूमि में वादीगण को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 के द्वारा वादी का वाद आंशिक स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन करने का निर्णय पारित किया ।

डिक्री दिनांक 10.09.2012 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 से व्यथित होकर
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 से 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण खातेदार जमनालाल का विवाह नहीं होना तथा करीबन 30 वर्षों से लापता होना बताकर तथा उसकी आराजी के वारिस होना बताकर आए हैं जिसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है न ही अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत् कोई जॉच रिपोर्ट उपलब्ध हुए बिना ही निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । प्रस्तुत वाद में केवल प्रतिवादी क्रम 7 व 11/6 द्वारा इकबालिया जबवा पेश करने को आधार मानकर प्रकरण का निस्तारण किया जो निरस्तनीय है । उक्त वाद में केसर बाई मन्नी बाई को सम्मन की तामील ही नहीं हुई न ही उन्होंने सम्मन लेने से इंकार किया है किसी असम्बन्धित व्यक्ति को सम्मन दे देने से तामील नहीं मानी जा सकती है । वादग्रस्त आराजी पर पूर्वजों के समय से मौखिक विभाजन हो रहा है उक्त बंटवारे के सम्बन्ध में भी वादीगण द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 निरस्त फरमाई जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधिवत निस्तारण करे।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें विधिवत रूप से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण में जमना लाल 40 वर्ष पूर्व घर से गायब हो गया है जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 6 एवं वादीगण इनके वारिस है और उक्त भूमि पर 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को सेट–असाइट कराने के लिए अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श– 1 के अनुसार कुल 02 किता की 0.98 हैक्टर में बिरधी लाल, सत्यनारायण, ओमप्रकाश, बनवारी लाल पुत्र केसरबाई, मन्नी बाई पुत्रियॉ भैरूलाल हिस्सा 1/4, बाल्या पुत्री गोपीराम हिस्सा 1/4 जमनालाल पुत्र मोडू हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड है । इंतकाल नम्बर 1603 दिनांक 20.08.2010 से बाल्या के स्थान पर नन्दकिशोर तथा इंतकाल नं0 1753 दिनांक 05.09.2011 से नन्दकिशोर के स्थान पर वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 का नाम दर्ज किया गया है । इसी प्रकार 02 किता की 1.16 हैक्टर भूमि में बिरधीलाल, सत्यनारायण,

ओमप्रकाश, बनवारी लाल पुत्र केसरबाई, मन्नी बाई पुत्रियॉ भैरूलाल हिस्सा 1/4 बाल्या पुत्र गोप्या धाकड हिस्सा 1/4 मांग्या पुत्र नेनगा हिस्सा 1/4 घनश्याम मु0 बाल्या हिस्सा 1/4 जाति धोबी दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें इंतकाल नं0 1603 व 1753 के द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 का नाम दर्ज है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित की है । प्रस्तुत प्रकरण में जमना लाल 40 वर्ष पूर्व घर से गायब हो गया है जिसका अभी तक कोई पता नहीं लगा । रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 एवं वादीगण इनके वारिस है । प्रतिवादी अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । रेस्पोडेन्ट को अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही को सेट–असाइट कराने के लिए अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । परन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर अपील प्रस्तुत कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 10.09.2012 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13/01

1. बिरधी लाल आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. बनवारी आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. केसर बाई आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. मन्नी बाई आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

—अपीलार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा
2. सीताराम पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कैलाश बाई बेवा नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. पुष्पलता पुत्री नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. घनश्याम मुतबन्ना बाल्या जाति धोबी निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. दाखां बाई पुत्री मांग्या जी पत्नी कल्याण जाति धोबी निवासी हिंगोनिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी ।
7. बादाम पुत्री मांग्या जाति धोबी निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. कंचन पुत्री मांग्या जी पत्नी बाबूलाल जाति धोबी निवासी बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. रामगोपाल पुत्र मांग्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   9/1. राजेन्द्र आत्मज रामगोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   9/1/1. कपिल पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता
   9/1/2. सुधांशु पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
   9/1/3. चिंतन पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
   9/1/4. प्रमिला पुत्री राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
   9/1/5. बबिता बेवा राजेन्द्र ।
   9/2. रेखा पुत्री रामगोपाल ।

9/3. रेणु पुत्री रामगोपाल ।
9/4. नीलू पुत्री रामगोपाल ।
9/5. पीलू पुत्री रामगोपाल ।
9/6. कमला बेवा रामगोपाल जाति धोबी निवासी डडवाडा कोटा जंक्शन तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 98/दावा/2011

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा
2. सीताराम पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कैलाश बाई बेवा नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. पुष्पलता पुत्री नन्दकिशोर जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. बिरधी लाल आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. बनवारी आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. केसर बाई आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. मन्नी बाई आत्मज श्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. घनश्याम मुतबन्ना बाल्या जाति धोबी निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा ।
8. दाखां बाई पुत्री मांग्या जी पत्नी कल्याण जाति धोबी निवासी हिंगोनिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी ।
9. बादाम पुत्री मांग्या जाति धोबी निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. कंचन पुत्री मांग्या जी पत्नी बाबूलाल जाति धोबी निवासी बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा
11. रामगोपाल पुत्र मांग्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :—

11/1. राजेन्द्र आत्मज रामगोपाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
11/1/1. कपिल पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता
11/1/2. सुधांशु पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।

11/1/3. चिंतन पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
11/1/4. प्रमिला पुत्री राजेन्द्र नाबालिग जरिये माता ।
11/1/5. बबिता बेवा राजेन्द्र ।
11/2. रेखा पुत्री रामगोपाल ।
11/3. रेणु पुत्री रामगोपाल ।
11/4. नीलू पुत्री रामगोपाल ।
11/5. पीलू पुत्री रामगोपाल ।
11/6. कमला बेवा रामगोपाल जाति धोबी निवासी डडवाडा कोटा जंक्शन तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 31.01.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्द नामदेव एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री घनश्यमा नागर एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 8 से 9/6 की ओर से अभिभाषक श्री बलराम शर्मा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.09.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 31.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा